संख्या -21/2016/928/63-व0उ0-2016-30(एच)/15

प्रेषक,

सुखलाल भारती,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निदेशक,
हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग,
उ0प्र0 कानपुर।

हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग अनुभाग लखनऊ : दिनांक 11 अगस्त, 2016

विषय:- यूपिका, कानपुर के सेवानिवृत्त/मृतक कार्मिकों के भुगतान हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक, यूपिका, कानपुर के पत्र संख्या-187/लेखा अनु0/2016-17, दिनांक 10.05.2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त पत्र में उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में यू0पी0 इण्डस्ट्रियल कोआपरेटिव एसोसिएशन (यूपिका), कानपुर के सेवानिवृत्त/मृतक कार्मिकों के बकाया के भुगतान करने हेतु रू0 105.82 लाख (रूपया एक करोड़, पॉच लाख, बयासी हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति ब्याज रहित ऋण के रूप में वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-62 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-6075-विधिक सामान्य सेवाओं के लिये कर्ज-800-अन्य कर्ज-03-रूग्ण निगमों आदि को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना हेतु कर्ज-30-निवेश/ऋण" के अन्तर्गत दिये जाने की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल प्रदान करते हैं।

2- उक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि रू0 105.82 लाख (रूपया एक करोड़, पॉच लाख, बयासी हजार मात्र) की धनराशि उक्त लेखाशीर्षक के अन्तर्गत उपलब्ध करायी जायेगी। उक्त स्वीकृत धनराशि रू0 105.82 लाख (रूपया एक करोड़, पॉच लाख, बयासी हजार मात्र) का सदुपयोग सुनिश्चित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 इण्डस्ट्रियल कोआपरेटिव एसोसिएशन (यूपिका), कानपुर का होगा। उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य मद में नहीं किया जायेगा।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि का सदुपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन के सम्बन्धित विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।

4- उक्त धनराशि का भुगतान सार्वजनिक उद्यम विभाग के संगत शासनादेशों के अनुसार पात्र व्यक्तियों को ही किया जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 संख्या-बी-4-126/दस-2016, दिनांक 09.08.2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(सुखलाल भारती)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या- 928(1)/63-व0उ0-2016-30(एच)/15, तद्दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।

2- वरिष्ठ कोषाधिकारी, कानपुर नगर।

3- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4/ वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/वित्त (बजट) अनुभाग-1

4- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, 125 जवाहर भवन, लखनऊ।

5- मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियॉ एवं पंचायतें, उ0प्र0 इन्दिरा भवन, अशोग मार्ग, लखनऊ।

6- गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,

(सुखलाल भारती)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in